भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3899
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत विशेष योजना तैयार करना

3899. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के सुधार एवं निर्माण के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई विशिष्ट निधि निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सड़क संपर्क नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इसमें तेजी लाने और इसे समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार सड़कों के निर्माण में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) जी हाँ, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के सुधार और निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) नामक एक विशिष्ट योजना बनाई है। दिसंबर 2000 में शुरू की गई इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र सड़क संपर्करहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है, जिससे सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तक पहुंच बढ़े और ग्रामीण निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। इसके बाद, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन/समेकन के लिए पीएमजीएसवाई के नए घटक शुरू किए गए, जो निम्नानुसार हैं:

(i) पीएमजीएसवाई-II: ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए मौजूदा ग्रामीण सड़कों को उन्नत करने हेतु वर्ष 2013 में शुरू किया गया।

(ii) पीएमजीएसवाई-III: वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को उन्नयन करके थ्रू–रूट्स और मुख्य ग्रामीण संपर्कों को मजबूत करना है, जो ग्रामीण कृषि बाजार (जीआरएएम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पताल से जुड़े हैं।

इसके अलावा, सरकार ने 25,000 सड़क संपर्करहित पात्र बसावटें, जो अपनी जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं, उन्हें सड़क सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 11 सितंबर 2024 को पीएमजीएसवाई-IV की शुरुआत की है, जिसका कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये (केंद्रीय अंश 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य अंश 21,037.50 करोड़ रुपये) है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (अनुसूची–V जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों, रेगिस्तानी क्षेत्रों) में 250 से अधिक जनसंख्या वाली, तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (जैसा कि 9 राज्यों में गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है) में 100 से अधिक जनसंख्या वाली सड़क संपर्करहित बसावटें कार्यक्रम के जनसंख्या मानदंडों के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, सड़क संपर्क रहित बसावटों को 62,500 किलोमीटर बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। बारहमासी उपयुक्त सड़क के संरेखण के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।

पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत पात्र बसावटों की प्रारंभिक पहचान पूरी हो चुकी है, और मंत्रालय प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और तदनुसार मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों के साथ गहन समन्वय के साथ कार्य कर रहा है।

पीएमजीएसवाई के सभी इंटरवेंसन/घटकों के तहत 07.08.2025 की स्थिति के अनुसार कुल 7,83,000 किलोमीटर सड़क लंबाई का निर्माण किया गया है, और इसी अवधि के दौरान योजना के तहत 1.62 लाख से अधिक बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत राज्य की सड़कों के विकास के लिए निधियां उपलब्ध कराता है।

(ख) पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 10 वर्ष की डिजाइन अवधि के साथ किया जाता है। पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और रखरखाव निधि राज्यों द्वारा प्रदान की जाती है। सभी पीएमजीएसवाई सड़क कार्य मानक बोली दस्तावेज के अनुसार सड़क बनाने वाले ठेकेदार के साथ निर्माण अनुबंध के साथ-साथ प्रारंभिक पांच-वर्षीय रखरखाव अनुबंधों द्वारा कवर किए जाते हैं। अनुबंध की पूर्ति के लिए रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना अपेक्षित है तथा इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना आवश्यक है। पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव कार्यों की निगरानी ईमार्ग (ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव) एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है। निर्माण के बाद 5 वर्ष की रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत रखा जाना

आवश्यक है, जिसमें समय-समय पर चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्ष का रखरखाव शामिल है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों की मरम्मत के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत 120.15 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(ग) अब तक पीएमजीएसवाई (सभी घटकों) के तहत 8,38,611 किलोमीटर लंबाई वाली 1,91,282 ग्रामीण सड़कों और 12,146 पुलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 7,83,727 किलोमीटर लंबाई वाले 1,83,215 सड़क कार्यों और 9,891 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी के प्राथमिक कारण, यदि कोई हों, तो भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी/अनुमति, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था, रियायतग्राही/ठेकेदार की वित्तीय तंगी, ठेकेदार/रियायतग्राही का खराब कार्य निष्पादन और कोविड-19 महामारी, भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन/हिमस्खलन आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं।

(ङ) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में बाधाओं/रुकावटों की समीक्षा और समाधान तंत्र का लाभ उठा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि वह आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन की उपलब्धता में तेजी लाने और नई परियोजनाओं के लिए पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए भी पूरे प्रयास कर रहा है।

(च) जी हाँ, नई/हरित प्रौद्योगिकी सड़कों के निर्माण की लागत को कम करने के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक और नगरपालिका अपशिष्टों के निपटान को भी प्रभावी ढंग से संभव बनाती है, जिससे न केवल पर्यावरण को बचाया जा सकेगा, बल्कि नवीन खनन सामग्री के उपयोग को भी प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सकेगा। इससे कार्य निष्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और निर्माण अवधि भी कम होगी।

सड़क निर्माण के लिए पर्यावरण अनुकूल हरित एवं टिकाऊ सामग्रियों तथा अत्याधुनिक निर्माण पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों और स्वदेशी अनुसंधान के परिणामों के आधार पर, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा नए मानक/दिशानिर्देश तैयार किए जाते हैं और ऐसी सामग्रियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए आईआरसी के मौजूदा मानकों/दिशानिर्देशों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भी ऐसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों/प्रक्रियाओं के उपयोग पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। परीक्षण खंडों में उपयोग के लिए नई/नवीन सामग्रियां/प्रक्रियाएं, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा भी अनुमत की जाती है। आईआरसी मानकों/दिशानिर्देशों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स (एएएसएचटीओ), अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मैटेरियल्स

(एएसटीएम), यूरो कोड, ब्रिटिश कोड, साथ ही आईआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त सामग्रियों द्वारा अनुमत सभी सामग्रियों और प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में अनुमति दी गई है।

विभिन्न प्रकार की पर्यावरण अनुकूल हरित और स्थायी सामग्री जैसे फ्लाई ऐश, स्लैग, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, लैंडफिल की निष्क्रिय सामग्री, अपशिष्ट प्लास्टिक, क्रम्ब रबर संशोधित बिटुमेन, मिलिंग और रीसाइक्लिंग, जूट और कॉयर सहित जियोसिंथेटिक्स, बांस क्रैश बैरियर, बायो-बिटुमेन, ढलान संरक्षण के लिए जैव-इंजीनियरिंग उपाय, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आदि का उपयोग विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में उपलब्धता और उपयोग की व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।

अब तक पीएमजीएसवाई (सभी कार्यक्षेत्रों) के अंतर्गत नई/हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए लगभग 1,66,694 किलोमीटर सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1,24,688 किलोमीटर का सड़क कार्य पूरा हो चुका है।

***